बालजीत सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

273

(लपिता बनर्जी, जे.)

जी. एस. संधवालिया और लपिता बनर्जी से पहले, जे. जे.

बालजीत सिंह-अपीलार्थी

बनाम

हरियाणा राज्य और एक अन्य उत्तरदाता 2022 की क्र. ए. डी. संख्या 139 (ओ. एंड. एम.)

02 दिसंबर, 2023

भारतीय दंड संहिता, धारा 498ए, 304बी-साक्ष्य अधिनियम, 1872-एस. एस. 106-धारा 1136-बी-दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-बरी किए जाने के विरुद्ध अपील-अभियुक्त प्रतिवादी को एल. डी. द्वारा भारतीय दंड संहिता के S.498A और 304 बी के तहत आरोपों से बरी कर दिया गया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश रोहतक-दहेज मृत्यु का दावा अस्थिर पाया गया-Ld। ट्रायल कोर्ट ने माना कि खंडन योग्य धारणा-मृतक दहेज की मांग के कारण क्रूरता के अधीन नहीं थी-उसकी मृत्यु अवसाद के कारण हुई क्योंकि वह विभिन्न बीमारियों के कारण अपने जीवन से तंग आ चुकी थी-मांग का कोई विशिष्ट आरोप नहीं-पीड़ित के स्वयं के उल्लंघन के कारण मृत्यु पाई गई-हस्तक्षेप और बरी होने के उलट के लिए कोई आधार नहीं बनाया गया-इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि एल. डी. द्वारा पारित निर्णय में कोई विकृति नहीं है, अपीलार्थी की प्रार्थना को अस्वीकार किया जाना चाहिए। ट्रायल कोर्ट-विस्तृत रूप से चर्चा किए गए साक्ष्य और सुविचारित निष्कर्षों सहित रिकॉर्ड पर सामग्री-अपील खारिज कर दी गई। अभिनिर्धारित किया कि इस न्यायालय ने साक्ष्य, अभिलेख पर सामग्री, अधिवक्ताओं की दलीलों और विचारण न्यायालय के निष्कर्षों पर विचार किया है। यह ध्यान देने योग्य है कि शिकायतकर्ता ने स्वयं स्वीकार किया है कि उसकी बेटी रीना शादी के 5-6 महीने बाद से अपने पति के साथ अपने ससुराल से अलग रहती थी। उसने यह भी स्वीकार किया है कि उसके पास लगभग ढाई किला जमीन थी, जबकि आरोपी के पास साढ़े बारह किला से अधिक जमीन थी, जिस पर उसने अपने पिता के साथ खेती की थी। कृषि उपकरण, जे. सी. बी. और ट्रैक्टर भी अभियुक्त द्वारा शिकायतकर्ता को खेती के उद्देश्य से दिए गए थे। शिकायतकर्ता ने उन वस्तुओं की एक सूची दी जो उसने दावा किया था कि दहेज के एक हिस्से के रूप में दी गई थी और 'पिलिया' समारोह के दौरान दी गई वस्तुओं की सूची भी दी, लेकिन न तो उक्त वस्तुओं की खरीद का प्रमाण देने वाले कोई बिल या रसीदें सौंपी और न ही संकेत दिया कि उन्हें कहाँ से खरीदा गया था और उन्हें कब खरीदा गया था। शिकायतकर्ता ने यह भी नहीं बताया कि 'पिलिया' समारोह कब आयोजित किया गया था और कब और कहाँ सामान दिए गए थे। इसके अलावा, अपीलार्थी ने स्वीकार किया कि दाह संस्कार के बाद, वह अपने परिवार के सदस्यों के साथ न तो अपनी बेटी के पार्थिव शरीर को लेने आया और न ही 274

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

(पैरा 33) ने आगे कहा कि अपीलार्थी अपनी बेटी की मृत्यु के बाद बच्चे से मिलने भी नहीं गया था और उसे यह भी पता नहीं था कि डॉ. सतीश शर्मा ने 27 अप्रैल, 2018 को अपनी बेटी की मृत्यु के बाद बच्चे का इलाज किया था या नहीं। उसने यह भी संकेत दिया है कि बच्चे के जन्म के बाद और बी. पी. एस. गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फॉर वुमन, खानपुर, सोनीपत में मृतक के इलाज के दौरान, आरोपी और उसकी चाची (बुआ) उसकी देखभाल के लिए वहाँ रहते थे। उनके बयान की अवधि से पता चलता है कि उनका अपनी बेटी के साथ शायद ही कोई संबंध था और वे इस तथ्य से अनजान थे कि उनका चिकित्सकीय उपचार किया जा रहा था। शिकायतकर्ता ने आरोपी द्वारा अपनी बेटी संगीता को दिए गए Rs.30,000/- के संबंध में अपनी अज्ञानता का नाटक करने की भी कोशिश की। हालाँकि, उन्होंने इस तरह के दावे के समर्थन में संगीता को अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में बुलाना आवश्यक नहीं समझा। (पैरा 34) ने आगे कहा कि शिकायतकर्ता का मामला यह है कि उसे समय-समय पर टेलीफोन पर रीना को हुए उत्पीड़न के बारे में सूचित किया गया था। हालांकि, शिकायतकर्ता के पास खुद कोई निजी मोबाइल फोन नहीं था। इस न्यायालय के दिमाग में यह भी नहीं आया है कि शिकायतकर्ता द्वारा तारीखों या अनुमानित तिथियों के साथ कोई विशिष्ट घटना नहीं सुनाई गई है। केवल कुछ गंजे दावे किए गए हैं। यह वास्तव में संदिग्ध है कि शिकायतकर्ता की बेटी रीना उसे लैंडलाइन पर फोन करती थी और केवल अपने ससुराल वालों द्वारा उत्पीड़न के बारे में बात करती थी जो उसके साथ नहीं रहते थे और उसके द्वारा किए जा रहे चिकित्सा उपचार के बारे में कोई जानकारी नहीं देते थे। शिकायतकर्ता का बयान अत्यधिक असंभव है और तथ्यों का सही बयान प्रकट नहीं करता है और किसी भी विश्वास को प्रेरित नहीं करता है। (पैरा 35) ने आगे अभिनिर्धारित किया कि यह न्यायालय नोटिस करता है कि अभियुक्त अपीलार्थी की तुलना में आर्थिक रूप से बहुत बेहतर था, इसलिए, मृतक रीना को अधिक दहेज के लिए परेशान करने के सवाल पर इस न्यायालय द्वारा विश्वास नहीं किया जाता है। यह तथ्य कि शिकायतकर्ता को अपने पोते के लिए कोई स्नेह नहीं था और उसने आरोपी के खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज की है, इस तथ्य से पता चलता है कि बालजीत सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

275

(लपिता बनर्जी, जे.)

वह न तो अपनी बेटी के साथ चिकित्सा उपचार के लिए गया है और न ही उसे पता है कि वह किस उपचार से गुजरी है और न ही जब उसे या उसके पोते को बी. पी. एस. गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फॉर वुमन, खानपुर, सोनीपत में भर्ती कराया गया था, तो उसकी देखभाल करने में कोई भाग लिया है। बेटी की मृत्यु के बाद उन्हें एक बार भी पोते से मिलने की आवश्यकता नहीं पड़ी। (पैरा 36) ने आगे अभिनिर्धारित किया कि दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों पर, विचारण न्यायालय अभियुक्त को दोषमुक्त करने में न्यायोचित था। निचली अदालत का फैसला वैध कारणों पर आधारित होता है। अभियुक्त आनंद के दोषसिद्धि के लिए अपीलार्थी की प्रार्थना को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए अस्वीकार किया जा सकता है। कर्नाटक राज्य बनाम के. गोपालकृष्णन, 2005 9 एस. सी. सी. 291 में, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जहां नीचे दिए गए न्यायालय के निष्कर्ष पूरी तरह से अनुचित या विकृत हैं और अभिलेख पर साक्ष्य पर आधारित नहीं हैं या गंभीर अवैधता से ग्रस्त हैं और इसमें अज्ञानता और अभिलेख का गलत अध्ययन शामिल है, अपीलीय न्यायालय बरी करने के ऐसे आदेश को रद्द करने में उचित होगा, लेकिन अन्यथा नहीं।

(पैरा 37)

आगे यह अभिनिर्धारित किया कि चंद्रप्पा बनाम कर्नाटक राज्य में,

2007 4 एस. सी. सी. 291, सर्वोच्च न्यायालय ने बरी करने के आदेश के खिलाफ अपील पर विचार करते हुए अपीलीय न्यायालय की शक्तियों के संबंध में सामान्य सिद्धांतों को हटा दिया। इन सिद्धांतों को नीचे सूचीबद्ध किया गया हैः

“(1) अपीलीय न्यायालय के पास उन साक्ष्यों की समीक्षा करने, उनकी पुनः सराहना करने और उन पर पुनर्विचार करने की पूरी शक्ति होती है, जिनके आधार पर बरी करने का आदेश दिया जाता है। (2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 ऐसी शक्ति के प्रयोग पर कोई सीमा, प्रतिबंध या शर्त नहीं लगाती है और एक अपीलीय न्यायालय तथ्य और कानून दोनों के प्रश्नों पर अपने स्वयं के निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले साक्ष्य पर कोई शर्त नहीं लगाता है। (3) विभिन्न अभिव्यक्तियाँ, जैसे "पर्याप्त और सम्मोहक कारण", "अच्छे और पर्याप्त आधार", "बहुत मजबूत परिस्थितियाँ", "विकृत निष्कर्ष", "स्पष्ट गलतियाँ", आदि का उद्देश्य बरी होने के खिलाफ अपील में अपीलीय न्यायालय की व्यापक शक्तियों को कम करना नहीं है। साक्ष्य की समीक्षा करने और अपने स्वयं के निष्कर्ष पर आने की अदालत की शक्ति को कम करने की तुलना में बरी करने में हस्तक्षेप करने के लिए एक अपीलीय अदालत की अनिच्छा पर जोर देने के लिए इस तरह के वाक्यांश "भाषा के विकास" की प्रकृति में अधिक हैं।

276

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

(4) हालाँकि, एक अपीलीय अदालत को यह ध्यान रखना चाहिए कि बरी होने के मामले में, अभियुक्त के पक्ष में दोहरी धारणा है। सबसे पहले, आपराधिक न्यायशास्त्र के मौलिक सिद्धांत के तहत निर्दोष होने का अनुमान उसके लिए उपलब्ध है कि प्रत्येक व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाएगा जब तक कि वह किसी सक्षम अदालत द्वारा दोषी साबित नहीं हो जाता। दूसरा, अभियुक्त द्वारा बरी किए जाने के बाद, उसकी बेगुनाही की धारणा को निचली अदालत द्वारा और मजबूत, फिर से पुष्टि और मजबूत किया जाता है।

(5) यदि अभिलेख पर साक्ष्य के आधार पर दो उचित निष्कर्ष संभव हैं, तो अपीलीय न्यायालय को विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए दोषमुक्ति के निष्कर्ष में बाधा नहीं डालनी चाहिए। ” (पैरा 38) ने आगे कहा कि उपरोक्त चर्चा और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय का विचार है कि निचली अदालत द्वारा पारित निर्णय में कोई विकृति नहीं है। साक्ष्य सहित अभिलेख पर सामग्री पर विस्तार से चर्चा की गई और एक अच्छी तरह से तर्कपूर्ण निष्कर्ष निकाला गया। इसलिए, विचारण न्यायालय का आदेश किसी भी तरह के हस्तक्षेप के लायक नहीं है। (पैरा 39) ने आगे अभिनिर्धारित किया कि तदनुसार, वर्तमान अपील खारिज कर दी जाती है। सभी लंबित आपराधिक विविध आवेदन, यदि कोई हों, का भी निपटारा कर दिया जाता है।

(पैरा 40) अभिषेक कौशिक, मुनीश जॉली के अधिवक्ता, अपीलार्थी।

(1) शिकायतकर्ता द्वारा यह अपील रोहतक के विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा 20 जनवरी, 2020 को पारित एक निर्णय और आदेश से उत्पन्न होती है। 20 जनवरी, 2020 के विवादित फैसले और आदेश से आरोपी आनंद को भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए और 304-बी के तहत आरोपों से बरी कर दिया गया था। (2) शिकायतकर्ता/अपीलार्थी मृतक/पीड़ित लड़की के पिता होने के नाते, रीना ने रोहतक पुलिस स्टेशन सिटी में आईपीसी की धारा 304-बी के तहत No.124 दिनांक 02.03.2018 दर्ज की थी। एफ. आई. आर. के अनुसार, उसने अपनी बेटी रीना की शादी आरोपी आनंद से बालजीत सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य मामलों में करवा दी।

277

(लपिता बनर्जी, जे.)

जाँच और परीक्षण प्रक्रियाएँ (7) 02 मार्च, 2018 को एएसआई सुनीत कुमार/पीडब्लू-13 और हेड कांस्टेबल परवीन कुमार/पीडब्लू-12 गश्त पर थे। पीड़ित रीना की मौत के बारे में पुलिस स्टेशन पीजीआईएमएस, रोहतक से एक संदेश प्राप्त करने पर, वे 278 एकत्र करने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचे

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

(8) 02 मार्च, 2018 को प्राथमिकी दर्ज करने के बाद आरोपी को 14 अगस्त, 2018 को गिरफ्तार किया गया था। आनंद के खिलाफ आईपीसी की धारा 304-बी के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जांच पूरी होने पर, 23 अगस्त, 2018 को मुकदमा शुरू करने के लिए आरोपी के खिलाफ धारा 173 Cr.P.C के तहत चालान पेश किया गया था। 13 सितंबर, 2018 के एक आदेश द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रोहतक ने दर्ज किया कि प्रारंभिक जांच के बाद आरोपी आनंद को आईपीसी की धारा 498-ए और 304-बी के तहत अपराध करने के लिए मुकदमा चलाने के लिए चालान पेश किया गया था। आई. पी. सी. की धारा 304-बी के तहत अपराध सत्र न्यायालय द्वारा विचारण योग्य है। अभियुक्त को 24 सितंबर, 2018 को रोहतक के सत्र न्यायाधीश के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया गया था और मुकदमे के समापन तक न्यायिक हिरासत में भेजने का निर्देश दिया गया था। 22 जनवरी, 2019 को आरोपी पर आईपीसी की धारा 498-ए और 304-बी के तहत दंडनीय अपराध करने का आरोप लगाया गया था। अभियुक्त ने उसी के लिए 'दोषी नहीं' होने का अनुरोध किया। इसलिए, मुकदमा। (9) 11 जुलाई, 2019 को अपीलार्थी की प्रतिपरीक्षा के दौरान, विद्वान लोक अभियोजक द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था कि वह पीड़ित रीना के ससुर, सास और बहनोई के खिलाफ मुकदमा चलाने और चल रही कार्यवाही में मुकदमे का सामना करने के लिए Cr.P.C की धारा 319 के तहत एक आवेदन दायर करना चाहता है। (10) यह आरोप लगाया गया था कि पुलिस उपरोक्त व्यक्तियों के साथ मिली-जुली थी और उन्हें चालान के कॉलम संख्या 2 में रखा गया था। 02 सितंबर, 2019 के एक आदेश द्वारा अतिरिक्त अभियुक्त के रूप में ससुराल वालों को बुलाने के आवेदन को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष न्यायाधीश, रोहतक द्वारा अमान्य बताते हुए खारिज कर दिया गया था। रोहतक के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष न्यायाधीश ने कहा कि जांच अधिकारी ने जांच के दौरान पाया कि पीड़िता रीना अपने पति आनंद के साथ धरमवीर अधिवक्ता के घर की पहली मंजिल पर रह रही थी। वहां से उन्हें पीजीआईएमएस, रोहतक ले जाया गया। घटनास्थल से कोई संदिग्ध सामग्री (उल्टी, कांच आदि) उपलब्ध नहीं थी।

बालजीत सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

279

(लपिता बनर्जी, जे.)

(11) 14 अभियोजन पक्ष की ओर से गवाहों से पूछताछ की गई। अभियोजन पक्ष के गवाहों से पूछताछ के बाद, सभी आपत्तिजनक सामग्री को प्रश्न और उत्तर के रूप में आरोपी के सामने रखा गया था। अभियुक्त ने मामले में गलत निहितार्थ का अनुरोध किया और साक्ष्य देने का विकल्प चुना। 07 बचाव पक्ष की ओर से गवाहों से पूछताछ की गई। बचाव पक्ष के साक्ष्य को 9 जनवरी, 2020 को बंद कर दिया गया था। परीक्षण न्यायालय द्वारा उद्देश्य

(12) निचली अदालत ने दो मुद्दे तैयार किएः ए। क्या आरोपी पति ने रीना को उसकी मृत्यु से तुरंत पहले दहेज की गैरकानूनी मांग के लिए क्रूरता का शिकार बनाया और दहेज की मांग के कारण उत्पीड़न और यातना के कारण, उसने अपनी शादी के 7 साल के भीतर आत्महत्या कर ली जो अन्यथा असामान्य परिस्थिति है जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई और उसने आईपीसी की धारा 498-ए और 304-बी के तहत दंडनीय अपराध किया?

बी। क्या अभियुक्त अपने बचाव की जाँच करने में सफल रहा है?

(13) निचली अदालत ने अभियोजन पक्ष के साक्ष्य का संक्षिप्त विवरण दिया। अपीलार्थी/बलजीत सिंह ने गवाही दी कि आरोपी/पति-आनंद और पीड़ित रीना के उपरोक्त चार ससुराल वाले कम दहेज लाने के लिए उसे ताना मारते थे। वे उसे बताते थे कि वह एक 'भिखारी के परिवार' से आती है और उसे पीटती भी थी। घटना से दो साल पहले से उनकी बेटी रीना अपने पति के साथ रोहतक में रहती थी। आरोपी और ससुराल वालों ने भी अपनी बेटी को कोई चिकित्सा सहायता प्रदान नहीं की और इसके परिणामस्वरूप, उसे प्रसव के बाद उसके माता-पिता के घर में रखा गया। आरोपी ने बच्चे का नाम तक नहीं रखा था। 26 फरवरी, 2018 को जब नवजात शिशु और उसकी बेटी को रोहतक वापस लाया गया तो उन्होंने फिर से 'पिलिया' समारोह के लिए उपहार मांगे।

280 पर

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

(14) 6 मार्च, 2018 को अपीलार्थी ने अपनी बेटी की शादी की एक तस्वीर प्रदर्शनी पी-7 पेश की। प्रदर्शनी पी-8 लेखों की सूची है। मृतक (पीडब्लू-11) की मां सरोज ने भी अपीलार्थी/बालजीत सिंह (पीडब्लू-5) की तर्ज पर गवाही दी। (15) विचारण न्यायाधीश ने पाया कि लोक अभियोजक ने निम्नलिखित तर्क उठाएः

2. उसकी मृत्यु से ठीक पहले दहेज की मांग के संबंध में आरोपी द्वारा उसे मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान किया गया था। 3. मृतक द्वारा आत्महत्या करना असामान्य परिस्थितियों में से एक है।

(16) उन्होंने तर्क दिया कि आई. पी. सी. की धारा 498-ए और 304-बी अभियोजन पक्ष द्वारा साबित की गई थी और यह प्रार्थना की गई थी कि आरोपी को दोषी ठहराया जाए और तदनुसार सजा दी जाए। शिकायतकर्ता के विद्वान वकील ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (जिसे इसके बाद "साक्ष्य अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 106 और 113-बी की ओर अदालत का ध्यान आकर्षित किया, दोनों को यहां इसके बाद पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

क) जब कोई व्यक्ति किसी अन्य इरादे से कोई कार्य करता है, जो उस कार्य के चरित्र और परिस्थितियों से पता चलता है, तो उस इरादे को साबित करने का भार उसके ऊपर होता है। ख) क पर बिना टिकट के रेलवे में यात्रा करने का आरोप लगाया जाता है। यह साबित करने का भार कि उनके पास टिकट था, उन पर है। 15. भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-बी निम्नानुसार हैः

- बालजीत सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

281

(लपिता बनर्जी, जे.)

“113-B. दहेज मृत्यु के बारे में अनुमान-जब सवाल यह है कि क्या किसी व्यक्ति ने किसी महिला की दहेज हत्या की है और यह दिखाया गया है कि उसकी मृत्यु से कुछ समय पहले ऐसी महिला को ऐसे व्यक्ति द्वारा दहेज की किसी मांग के संबंध में क्रूरता या उत्पीड़न का शिकार बनाया गया है, न्यायालय यह मान लेगा कि ऐसे व्यक्ति ने दहेज हत्या का कारण बना था। ”

(17) जब किसी महिला की शादी के 7 साल के भीतर उसके वैवाहिक घर में और उसी की चार दीवारों के भीतर मृत्यु हो जाती है, तो आरोपी के परिवार के सदस्यों के लिए अपनी बेगुनाही साबित करना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए विधायिका ने 'अनुमान' की अवधारणा पेश की है विद्वत विचारण न्यायालय का विचार था कि विवाह के सात वर्षों के भीतर दुल्हन की दहेज मृत्यु के संबंध में अभियुक्तों के खिलाफ अनुमान को देखते हुए अभियुक्तों के लिए अपनी बेगुनाही साबित करना भी बेहद मुश्किल था। इस संदर्भ में, साक्ष्य अधिनियम की धारा 4 का उल्लेख किया गया था, जिसे इसके बाद पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

“ अनुमान लगाएंगे "। —जब भी इस अधिनियम द्वारा यह निर्देश दिया जाता है कि न्यायालय किसी तथ्य का अनुमान लगाएगा, तो वह ऐसे तथ्य को तब तक साबित मानेगा जब तक कि यह गलत साबित न हो जाए। “ निर्णायक प्रमाण "। —जब इस अधिनियम द्वारा एक तथ्य को दूसरे का निर्णायक प्रमाण घोषित किया जाता है, तो न्यायालय, एक तथ्य के प्रमाण पर, दूसरे को सिद्ध मानेगा, और इसे गलत साबित करने के उद्देश्य से साक्ष्य देने की अनुमति नहीं देगा। ”

(18) तदनुसार विचारण न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-बी के तहत 'अनुमान' एक खंडन योग्य अनुमान है। अभियुक्त अभियोजन पक्ष के गवाहों से जिरह करके और इसके विपरीत सबूत पेश करके अपने खिलाफ धारणा का खंडन कर सकता है। (19) बचाव पक्ष के वकील (आरोपी/आनंद) ने तर्क दिया कि आरोपी को गलत तरीके से फंसाया गया है। दहेज की मांग को लेकर पति-पत्नी के बीच कोई विवाद नहीं था। आरोपी आर्थिक रूप से मजबूत था और वास्तव में अपने ससुराल वालों की आर्थिक रूप से मदद करता था। 282 थे

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

(21) मान लीजिए, अपीलार्थी के पास अपने बैंक खाते में केवल Rs.1000-1100 था। वह एक छोटा कृषक था जिसके पास ढाई किला जमीन थी और वह डाकिये के रूप में भी काम कर रहा था, जबकि आरोपी के पास साढ़े बारह किला जमीन थी। अपीलार्थी ने कहा कि उसने अपनी इच्छा से अपनी बेटी रीना को अपनी क्षमता के अनुसार दहेज दिया। रीना लगभग 5-6 महीने तक अपने ससुराल वालों के साथ रही और उसके बाद रोहतक चली गई। आरोपी के पास एक जे. सी. बी. और एक ट्रैक्टर था। गर्भ धारण करने में विफलता के कारण, आईवीएफ प्रक्रिया से गुजरने के लिए रोहतक में उनका इलाज किया गया। (22) मान लीजिए, अपीलार्थी कभी भी अपनी बेटी से मिलने नहीं गया और न ही उसकी गर्भावस्था के बाद उसके ससुराल गया। घटना की तारीख को अपीलार्थी और उनके परिवार के सदस्य लगभग 4 बजे पीजीआईएमएस, रोहतक पहुंचेः 00/4: 30 पीएम। उनका बयान 5 बजे दर्ज किया गया थाः 00 पीएम। फिर वे अपने गाँव लौट गए। अगली सुबह वे दाह संस्कार की कार्यवाही में भाग लेने के लिए वापस आए। अपीलार्थी इसके बाद किसी भी समय बच्चे से मिलने नहीं गया। वह बच्चे के जन्मदिन पर भी उसके पास नहीं गया था। उन्हें यह भी पता नहीं था कि बच्चे का नाम "अंश" रखा गया था या नहीं। उन्हें इस बात की भी जानकारी नहीं थी कि फरवरी में डॉ. सतीश शर्मा ने बच्चे का इलाज किया था या नहीं। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी की मृत्यु से पहले आरोपी के खिलाफ कोई शिकायत नहीं की गई थी, क्योंकि समझौता हुआ था। हालाँकि, उन्होंने अपने बयान/प्रदर्शनी पी-6 में इस तरह के समझौते के तथ्य का उल्लेख नहीं किया। उन्होंने कहा कि आरोपी धीरज हुड्डा नाम के एक निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्ता के साथ चालक के रूप में काम करता था। उसने अपनी जिरह में यह भी स्वीकार किया कि वह अपनी बेटियों की शादी के दौरान आरोपी से पैसे लेता था। हालाँकि, उन्होंने इस तथ्य से अनजान होने का दावा किया कि क्या बालजीत सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य का योग

283

(लपिता बनर्जी, जे.)

(24) निचली अदालत ने पीडब्लू-13/जांच अधिकारी (एएसआई सुनीत कुमार) द्वारा दिए गए बयानों पर भी गौर किया, जिन्होंने घटना की तारीख पर अपीलार्थी/बलजीत सिंह, उनकी पत्नी-सरोज (मृतक की मां) और शमशेर/मृतक के चाचा के बयान दर्ज किए थे। अधिवक्ता धर्मपाल (मृतक के मकान मालिक) और उनकी पत्नी भी वहां मौजूद थे। हालाँकि, घटना की तारीख पर उनके बयान दर्ज नहीं किए गए थे। जाँच अधिकारी को मौके पर कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली। जाँच से, मृतक के पति या परिवार के सदस्यों द्वारा उसके उत्पीड़न की कोई विशिष्ट तिथि या महीना या वर्ष सामने नहीं आया। शिकायतकर्ता द्वारा दहेज की वस्तुओं या 'पिलिया' वस्तुओं के हिस्से के रूप में खरीदी गई किसी भी वस्तु का कोई प्रमाण या रसीद नहीं थी। (25) फिर विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा Cr.P.C की धारा 313 के तहत बयान का उल्लेख करके अभियुक्त के रुख को ध्यान में रखा गया। अभियुक्त ने कहा कि वह निर्दोष था और शिकायतकर्ता के साथ मिलीभगत में पुलिस द्वारा उसे गलत तरीके से फंसाया गया था। शिकायतकर्ता लगभग 4 बजे पीजीआईएमएस, रोहतक पहुँचाः 00/4: 30 शाम को, और वे 8 बजे अपने गाँव पहुँचेः 00/8: 30 पी एम। जाँच अधिकारी ने अपने बयान में कहा कि शिकायत 9 बजे दर्ज की गई थीः 35 पी एम। दहेज की विशिष्ट मांग या उत्पीड़न के विशिष्ट कार्य के संबंध में कोई आरोप नहीं है। दहेज की मांग के आरोपों के संबंध में कोई विशिष्ट तिथि, महीना या वर्ष का उल्लेख नहीं है। मृतक लंबे समय से रोहतक में उसके साथ किराए के मकान में रहता था। पति ने उसका इलाज पीजीआईएमएस, रोहतक और अद्वंता सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, रोहतक सहित विभिन्न अस्पतालों में कराया। उनके बेटे का नाम उनके जन्म के तुरंत बाद "अंश" रखा गया था। मृतक स्पष्ट रूप से अपनी गंभीर बीमारी के कारण निराश था और यहाँ तक कि घटना की तारीख पर अपनी बहन से बात भी की थी। उन्होंने स्वीकार किया कि उनके पति ने डॉक्टर खोजने की पूरी कोशिश की लेकिन भारी बारिश और होली के त्योहार के कारण ऐसा नहीं कर सके। मृतक तब एक सामान्य संबंध रखता था और उसके 284 से संतुष्ट था।

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

(28) सबूतों का विश्लेषण करने के बाद, ट्रायल जज की राय थी कि आरोपी आर्थिक रूप से मजबूत था और अपने ससुराल वालों की मदद करता था। अभियुक्त ने अपने ससुर/अपीलार्थी को कृषि कार्य में मदद करने के लिए अपनी ट्रैक्टर-ट्रॉली और कृषि के उपकरण भी भेजे। अपीलार्थी ने यह भी स्वीकार किया कि अभियुक्त ने उसकी बेटियों की शादी के दौरान उसकी आर्थिक रूप से मदद की थी। उसकी बेटी की मृत्यु से पहले आरोपी के हाथों शारीरिक या मानसिक रूप से यातना की कोई शिकायत नहीं थी। उक्त मामले पर कभी कोई पंचायत नहीं बुलाई गई थी और मृतक की कोई चिकित्सा रिपोर्ट यह दिखाने के लिए नहीं थी कि उसे या तो पीटा गया था या किसी भी समय चोट का कोई निशान था। (29) अपीलार्थी ने स्वीकार किया था कि रीना का आईवीएफ के माध्यम से बांझपन का इलाज किया गया था और उक्त इलाज उसके पति और ससुराल वालों द्वारा किया गया था। बच्चे के जन्म के दौरान और उसके बाद, आरोपी/पति और उसकी चाची (बुआ) ने बी. पी. एस. गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फॉर वुमन, खानपुर, सोनीपत में बच्चे की देखभाल की।

धरमवीर बालजीत सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य का साक्ष्य

285

(लपिता बनर्जी, जे.)

1 2010 (12) एससीसी 115 2 2002 (1) आर. सी. आर. (सी. आर. एल.) 443 (एससी)

286

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

(35) शिकायतकर्ता का मामला यह है कि उसे समय-समय पर टेलीफोन पर रीना के उत्पीड़न के बारे में सूचित किया जाता था। हालांकि, शिकायतकर्ता के पास खुद कोई निजी मोबाइल फोन नहीं था। इस न्यायालय के दिमाग में यह भी नहीं आया है कि शिकायतकर्ता द्वारा तारीखों या अनुमानित तिथियों के साथ कोई विशिष्ट घटना नहीं सुनाई गई है। केवल कुछ गंजे दावे किए गए हैं। यह वास्तव में संदिग्ध है कि शिकायतकर्ता की बेटी रीना उसे लैंडलाइन पर फोन करती थी और केवल अपने ससुराल वालों द्वारा उत्पीड़न के बारे में बात करती थी जो उसके साथ नहीं रहते थे और उसके द्वारा किए जा रहे चिकित्सा उपचार के बारे में कोई जानकारी नहीं देते थे। शिकायतकर्ता का बयान अत्यधिक असंभव है और तथ्यों का सही बयान प्रकट नहीं करता है और किसी भी विश्वास को प्रेरित नहीं करता है। (36) यह न्यायालय नोटिस करता है कि अभियुक्त अपीलार्थी की तुलना में आर्थिक रूप से बहुत बेहतर था, इसलिए, अधिक दहेज के लिए मृतक रीना को परेशान करने के सवाल पर इस न्यायालय द्वारा विश्वास नहीं किया जाता है।

तथ्य बालजीत सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

287

(लपिता बनर्जी, जे.)

यह कि शिकायतकर्ता को अपने पोते के लिए कोई स्नेह नहीं था और उसने आरोपी के खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज कराई है, इस तथ्य से पता चलता है कि वह न तो अपनी बेटी के साथ चिकित्सा उपचार के लिए गया है और न ही उसे उस उपचार के बारे में पता है जिससे वह गुजरी है और न ही उसने उसकी या पोते की देखभाल करने में कोई भाग लिया है जब वे बी. पी. एस. सरकारी महिला चिकित्सा महाविद्यालय, खानपुर, सोनीपत में भर्ती हुए थे। बेटी की मृत्यु के बाद उन्हें एक बार भी पोते से मिलने की आवश्यकता नहीं पड़ी। (37) दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों पर, निचली अदालत ने आरोपी को बरी कर दिया। निचली अदालत का फैसला वैध कारणों पर आधारित होता है। अभियुक्त आनंद के दोषसिद्धि के लिए अपीलार्थी की प्रार्थना को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए अस्वीकार किया जा सकता है। कर्नाटक राज्य बनाम के. गोपालकृष्ण 3 में, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जहां नीचे दिए गए न्यायालय के निष्कर्ष पूरी तरह से अनुचित या विकृत हैं और रिकॉर्ड पर साक्ष्य पर आधारित नहीं हैं या गंभीर अवैधता से ग्रस्त हैं और इसमें अज्ञानता और रिकॉर्ड का गलत अध्ययन शामिल है, अपील न्यायालय बरी करने के ऐसे आदेश को रद्द करने में उचित होगा, लेकिन अन्यथा नहीं।

(38) चंद्रप्पा बनाम कर्नाटक राज्य 4 में, सर्वोच्च न्यायालय ने

बरी किए जाने के आदेश के खिलाफ अपील पर विचार करते समय अपीलीय न्यायालय की शक्तियों के संबंध में सामान्य सिद्धांतों का उल्लेख किया। इन सिद्धांतों को नीचे सूचीबद्ध किया गया हैः

“(1) अपीलीय न्यायालय के पास उन साक्ष्यों की समीक्षा करने, उनकी पुनः सराहना करने और उन पर पुनर्विचार करने की पूरी शक्ति होती है, जिनके आधार पर बरी करने का आदेश दिया जाता है।

(2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 ऐसी शक्ति के प्रयोग पर कोई सीमा, प्रतिबंध या शर्त नहीं लगाती है और एक अपीलीय न्यायालय तथ्य और कानून दोनों के प्रश्नों पर अपने स्वयं के निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले साक्ष्य पर कोई शर्त नहीं लगाता है। (3) विभिन्न अभिव्यक्तियाँ, जैसे "पर्याप्त और सम्मोहक कारण", "अच्छे और पर्याप्त आधार", "बहुत मजबूत परिस्थितियाँ", "विकृत निष्कर्ष", "स्पष्ट गलतियाँ", आदि का उद्देश्य बरी होने के खिलाफ अपील में अपीलीय न्यायालय की व्यापक शक्तियों को कम करना नहीं है। अपीलीय न्यायालय 3 2005 (9) एस. सी. सी. 291 की अनिच्छा पर जोर देने के लिए इस तरह के वाक्यांश "भाषा के विकास" की प्रकृति में अधिक हैं। 4 2007 (4) एस. सी. सी. 415 288

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

साक्ष्य की समीक्षा करने और अपने स्वयं के निष्कर्ष पर आने की अदालत की शक्ति को कम करने की तुलना में बरी होने में हस्तक्षेप करना। (4) हालाँकि, एक अपीलीय अदालत को यह ध्यान रखना चाहिए कि बरी होने के मामले में, अभियुक्त के पक्ष में दोहरी धारणा है। सबसे पहले, आपराधिक न्यायशास्त्र के मौलिक सिद्धांत के तहत निर्दोष होने का अनुमान उसके लिए उपलब्ध है कि प्रत्येक व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाएगा जब तक कि वह किसी सक्षम अदालत द्वारा दोषी साबित नहीं हो जाता। दूसरा, अभियुक्त द्वारा बरी किए जाने के बाद, उसकी बेगुनाही की धारणा को निचली अदालत द्वारा और मजबूत, फिर से पुष्टि और मजबूत किया जाता है।

(40) तदनुसार, वर्तमान याचिका खारिज कर दी जाती है। सभी लंबित आपराधिक विविध आवेदन, यदि कोई हों, का भी निपटारा कर दिया जाता है। रिपोर्टर-कृति शर्मा अवस्थी